लोकअदालत कैम्प कोर्ट : केरवावाल

मु.नं. 2/70
तारीख 6.7.15

उनवान : छोटेलाल V/s मंगूराम

15.5.2017 आज पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश हुई। प्रार्थी ने एक वाद प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act का इस आशय का पेश किया कि आराजी ख.नं. 556/0.04, 557/0.01, 558/0.89, 558/1437/0.71 559/1436/0.32, 609/0.08, 610/0.04 वाके ग्राम केरवावाल तह. मालाखेड़ा जिसमें मिन प्रार्थी का 1/4 हिस्सा, मंगू का 1/4 हिस्सा, हरसुख का 1/4 हिस्सा, रामजीलाल का 1/24 हिस्सा, लीलाराम, धन्याराम, रामसिंह पिसराना आदि धोरी, पूरी, पुत्रियां आदि का 1/4 हिस्सा है। हरसुख का स्वर्गवास हो चुका है। आराजी मुतनाजा पर पहले प्रार्थी व असल अप्रार्थीगण काबिज दाखिल थे व आराजी मुतनाजा अवट आराजी है। आराजी मुतनाजा का अभी तक बटवारा नहीं हुआ है। असल अप्रार्थीगण ने मिन

अ नि
छोटेला

अ नि
मंगूरा

अ नि
लीलार

सहायक कलेक्टर
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी को विवादित आराजी से तकसीम नहीं करने व आराजीयात को दीगर जगह बिना तकसीम कराए ही रहन, बैय हिबा करनें व शक्ल मौका परिवर्तित करने की धमकी दी। अतः ता फैसला अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। प्रार्थी छोटेलाल अप्रार्थीगण मंगराम लीलाराम उप० अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब पेश नहीं हुआ है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण को कैम्प कोर्ट केरवाजल में उप० हुए, दोनो पक्षो को सुना, पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का आद्योपान्त अवलोकन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण उक्त आराजी के खातेदार के रूप में नाम दर्ज है। अतः उभयपक्ष प्रार्थी का वाद अभी विचाराधीन है। अतः उभयपक्ष को तादावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते है। अतः उभयपक्षगणो को तादावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 556/0.04, 557/0.10, 556/0.89, 558/1437/0.71, 559/1436/0.32, 609/0.08, 610/1-06, 559/1-06 हैक्टेयर वाके ग्राम केरवाजल तह० मालाखेड़ा जिला अलवर में ~~प्रार्थी~~ जबरन बेदखल नहीं करे व रहन बेच अथवा निर्माण कार्य न करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे सहायक कलक्टर अलवर (राज०)	